



न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी), कौशाम्बी ।

उपस्थित- अभिषेक गुप्ता (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

मूल वाद संख्या :- 128 / 2009

सी.एन.आर. सं० UPKS060004942009

1. लालचन्द्र उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व० जगमोहन
2. श्यामबाबू उम्र 38 वर्ष पुत्र स्व० जगमोहन
समस्त निवासीगण – जिल्लापर मजरा रसूलपुर गिरछा, परगना- कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी ।

.....वादीगण

बनाम

1. इंदर सोनकर उम्र लगभग 40 वर्ष पुत्र कुल्लू
निवासी – जिल्लापर मजरा रसूलपुर गिरछा, परगना- कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी ।

..... प्रतिवादी

2. बाबूलाल उम्र 45 वर्ष पुत्र जगमोहन (मृतक दौरान वाद)
 - 2/1. संतोष कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र स्व० बाबूलाल ।
 - 2/2. बृजेश कुमार उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व० बाबूलाल ।
 - 2/3. शिवकली उम्र 50 वर्ष बेवा स्व० बाबूलाल ।
3. रामबाबू उम्र 35 वर्ष पुत्र जगमोहन ।
समस्त निवासीगण – जिल्लापर मजरा रसूलपुर गिरछा, परगना- कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी ।

..... औपचारिक पक्षकार

-:निर्णय:-

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 14 / 2007 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है ।
2. उक्त वाद में वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 बाबूलाल (मृतक) व प्रतिवादी संख्या 3 को औपचारिक को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादी संख्या 2 की दौरान वाद मृत्यु हो जाने के कारण उनके विधिक वरिसानों को पक्षकार बनाया गया है । औपचारिक पक्षकारों से वादीगण ने किसी भी प्रकार की उपशम की याचना नहीं की है और न ही औपचारिक पक्षकारों द्वारा कोई लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है ।
2. वादपत्र में किया गया अभिकथन संक्षेपतः इस प्रकार है कि वादीगण एवं औपचारिक पक्षकार प्रतिवादीगण आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० स्थित ग्राम

रसूलपुर गिरछा, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के सहभूमिधर काबिज दखील व स्वामी है। आराजी संख्या 107 के कुछ भाग में खेतीबारी होती है तथा कुछ भाग में एक पेड़ बेल, एक पेड़ महुआ, नीम के 6 पेड़ तथा बैर के 15 पेड़ तथा 2 बांसकोट स्थित है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं था और न ही कब्जा दखल है और न आज ही है। आराजी संख्या 107 भरवारी से मँझनपुर पक्की सड़क पर स्थित है इसी कारण उक्त आराजी बहुत ही बहुमूल्य हो गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 एक दबंग, धनाडय व बाहुबली किस्म के व्यक्ति है तथा जिनके तमाम मेली मददगार भी है। प्रतिवादी संख्या 01 दिनांक 16.03.2009 को उक्त आराजी संख्या 107 में तमाम निर्माण सामाग्री ईट, बालू आदि रखना शुरू कर दिया जिसपर वादीगण ने मौके पर एतराज किया तब प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दिया कि उक्त आराजी में मकान का निर्माण कर लेंगे जिस पर वादीगण ने मना किया तब प्रतिवादी संख्या 1 झगड़ा फसाद पर अमादा हो गया। वादीगण ने झगड़े को किसी तरह टाल दिया फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 धमकी देते हुए चले गए कि वह एक न एक दिन निर्माण अवश्य कर लेंगे। उपरोक्त अभिकथन कर वादीगण द्वारा यह याचना की गई है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 व उनके मेली मददगार को मना कर दे कि वादीगण की भूमिधरी आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे0 स्थित ग्राम रसूलपुर गिरछा, परगना- कडा, तहसील- सिराथू, जनपद- कौशाम्बी में अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण न करें और न ही वादीगण के उक्त आराजी में शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में अवैध हस्तक्षेप करें और न ही उक्त आराजी की नवैयत परिवर्तित करें।

3. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित कथन 18 क/1 से 18 क/ 4 प्रस्तुत कर वादपत्र के कुछ तथ्यों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये शेष तथ्यों से इन्कार किया गया है व संक्षेपतः कथन किया है कि प्रतिवादी आराजी संख्या 107 में कोई निर्माण न तो कभी किया और न कर रहा है बल्कि उसका निर्माण आराजी संख्या 103 में हो रहा है। आराजी संख्या 103 रकबा 0.4450 हे0 स्थित ग्राम विगहरा परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के सहभूमिधर काश्तकार राम प्रसाद जमुना, श्याम बाबू, राम बाबू, कल्लू, शंभू, भरत पुत्र कलकू है। जो अपने हक व हिस्सानुसार उक्त भूमि में कब्जा दखल में रहे चले आ रहे है। बैनामा के बाद राम प्रसाद आदि ने आराजी संख्या 103 के जुज भाग में एक कमरा से 1989 में बनवाया तथा अवशेष हिस्सा को पक्की ईटों से बाउंड्री से घेर लिया। वादग्रस्त भूमि सं0 107 से प्रतिवादी का कोई मतलब सरोकार या हक व हिस्सा न रहा और न है फिर भी यदि उसका कब्जा दखल पाया जाता है तो मियाद व्यतीत हो जाने की वजह से वादी के समस्त भौमिक अधिकार खत्म हो चुके है। प्रतिवादी आराजी सं0 103 में निर्माण कर रहा है। उक्त

जमीन से वादी का कोई अधिकार बतौर असल मालिक न रहा और न है। अतएव दावा वादी का निरस्त किये जाने योग्य है।

विवाद्यक

4. उभयपक्ष के अभिवचनो के आधार पर दिनांक 14.07.2011 को निम्नलिखित वाद-बिन्दु विरचित किये गये –

1. क्या वादी विवादित आराजी का मालिक स्वामी व काबिज दखील है ?
2. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है और न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?
3. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 और आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?
4. क्या दावा वादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित बाधित है?
5. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

5. वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 8 ग / 2 खतौनी फ़सली वर्ष 1409-1444 की सत्य प्रतिलिपि, कागज संख्या 8 ग / 3 खसरा फ़सली वर्ष 1416, कागज संख्या 8 ग / 4 भू- नक्शा, कागज संख्या 101 ग / 2 खतौनी आराजी संख्या 107 रकबा 0.3310 की नकल, कागज संख्या 101 ग / 3 खसरा की नकल दाखिल किया गया है।

6. वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू० 1 लालचंद्र, पी० डब्लू० 2 जगरूप, पी० डब्लू० 3 देवराज को परीक्षित कराया गया है।

7. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कागज संख्या 102 ग / 3 लगायत 102 ग / 6 बैनामा दिनांकित 12.09.1989 की नकल दाखिल किया गया है।

8. प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 इन्दर सोनकर , डी० डब्लू० 2 के रूप में राम प्रसाद व डी०डब्लू० 3 हरिशचन्द्र को परीक्षित कराया गया है।

9. मैंने वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

-:निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 1:-

वाद बिन्दु संख्या 1 इस आशय के साथ विरचित किया गया है कि क्या वादी विवादित आराजी का मालिक स्वामी व काबिज दखील है ?

उक्त वाद बिंदु को साबित किए जाने के अनुक्रम में वादी द्वारा वादपत्र में यह कथन किया गया है कि वादीगण एवं औपचारिक पक्षकार प्रतिवादीगण आराजी संख्या

107 रकबा 0.331 हे० स्थित ग्राम रसूलपुर गिरछा, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के सहभूमिधर काबिज दखील व स्वामी है। आराजी संख्या 107 के कुछ भाग में खेतीबारी होती है तथा कुछ भाग में एक पेड़ बेल, एक पेड़ महुआ, नीम के 6 पेड़ तथा बैर के 15 पेड़ तथा 2 बांसकोट स्थित है। जिससे प्रतिवादी संख्या 1 से कभी कोई वास्ता सरोकार नहीं था और न ही कब्जा दखल है और न आज ही है।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के अभिकथनों के विखंडन में यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी आराजी सं 107 में कोई निर्माण न तो कभी किया और न कर रहा है बल्कि उसका निर्माण आराजी संख्या 103 में हो रहा है। आराजी संख्या 103 रकबा 0.4450 हे० स्थित ग्राम विगहरा परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के सहभूमिधर काशतकार राम प्रसाद जमुना, श्याम बाबू, राम बाबू, कल्लू, शंभू, भरत पुत्र कलकू है जो अपने हक व हिस्सानुसार उक्त भूमि में कब्जा दखल में रहे चले आ रहे हैं। बैनामा के बाद राम प्रसाद आदि ने आराजी संख्या 103 के जुज भाग में एक कमरा से 1989 में बनवाया तथा अवशेष हिस्सा को पक्की ईंटों से बाउंड्री से घेर लिया। वादग्रस्त भूमि सं० 107 से प्रतिवादी का कोई मतलब सरोकार या हक व हिस्सा न रहा और न है। प्रतिवादी आराजी सं० 103 में निर्माण कर रहा है।

इस प्रकार उभय पक्ष के उपरोक्त अभिकथन एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से सर्वप्रथम यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादीगण स्वयं द्वारा बताई गई भूमि का मालिक व काबिज है? वादी द्वारा अपने वाद के आधार स्वरूप यह कथन किया है कि आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० में वादीगण व प्रोफार्मा प्रतिवादीगण बराबर के हिस्सेदार हैं। उक्त के संबंध में वादीगण द्वारा कागज संख्या 8 ग / 2 खतौनी फ़सली वर्ष 1409-1414 की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के बावत वादीगण के पिता जगमोहन का नाम दर्ज है। इसी प्रकार वादी द्वारा दाखिल कागज संख्या 8 ग / 3 खसरा में वर्णित आराजी के बावत वादीगण के पिता जगमोहन का नाम दर्ज होना प्रकट होता है। उक्त खसरा में 1 बेल, 1 महुवा, 6 नीम, 15 बेर व 2 बांस के पेड़ों का होना भी दर्ज है जिससे यह प्रकट होता है कि वादीगण का उक्त विवादित आराजी पर पूर्ण कब्जा दखल है। उक्त आराजी के संबंध में वादीगण द्वारा अद्यतन खतौनी की सत्य प्रतिलिपि भी दाखिल की गई है जिसमें वादीगण के पिता जगमोहन की मृत्यु के पश्चात वादीगण व औपचारिक पक्षकार प्रतिवादीगण का नाम आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० के बावत बतौर खातेदार दर्ज हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी डी० डब्ल्यू० 1 इंदर सोनकर ने स्वयं अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० स्थित रसूलपुर गिरछा के मालिक व स्वामी लालचंद्र, श्याम बाबू, बाबूलाल व रामबाबू है व आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० से प्रतिवादी का कोई हिस्सा व मतलब,

गरज नहीं है। इस प्रकार दाखिल उक्त राजस्व अभिलेख के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि वादीगण आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे0 के मालिक व स्वामी है। राजस्व अभिलेखों में वादीगण का नाम दर्ज है।

जहां तक वादी को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान किये जाने का प्रश्न है इस संबंध में प्रावधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 37 (2) उपबंधित करती है -

A perpetual injunction can only be granted by the decree made at the hearing and upon the merits of the suit; the defendant is thereby perpetually enjoined from the assertion of a right, or from the commission of an act, which would be contrary to the rights of the plaintiff.

उक्त प्रावधान के अनुक्रम में यह तय किया जाना आवश्यक है कि क्या वादीगण की आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे0 पर प्रतिवादी द्वारा निर्माण किया जा रहा है? इस संबंध में वादीगण ने अपने वादपत्र में यह कथन किया है कि प्रतिवादी दिनांक 16.03.2009 उक्त आराजी में तमाम भवन निर्माण सामाग्री आदि रखना शुरू किये। उक्त के संबंध में वादीगण द्वारा कागज संख्या 8 ग / 4 भू- नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि आराजी संख्या 107 की पूरब की ओर सटी हुई आराजी संख्या 104 स्थित है। प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन में यह भी कथन किया गया है कि आराजी संख्या 107 में प्रतिवादी ने न तो कोई निर्माण किया है और न हीं कर रहा है। उसका निर्माण आराजी संख्या 103 में हो रहा है। प्रतिवादी ने यह भी कथन किया है कि आराजी संख्या 103 का विक्रेता फूलचंद्र के द्वारा जरिए पंजीकृत बैनामा माकूल कीमत लेकर राम प्रसाद को कब्जा दखल दिया तथा राम प्रसाद बैनामे के समय से बराबर कब्जा दखल में चले आ रहे है। विवादित आराजी संख्या 107 के बावत पी0 डब्ल्यू० 1 लालचंद्र ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि विवादित भूमि के उत्तर में 104 व 103 नंबर है व दक्षिण में लाल बहादुर की जमीन है।

विवादित आराजी संख्या 107 के बावत डी0 डब्ल्यू० 1 इन्दर सोनकर ने अपनी प्रति परीक्षा में यह कथन किया है कि आराजी संख्या 107 के पूरब में सड़क भरवारी से मँझनपुर स्थित है। वादी द्वारा दाखिल भू-नक्शा में 8 ग / 4 में भी पूरब की ओर सड़क का होना प्रकट होता है। साक्षी डी0 डब्ल्यू० 1 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि आराजी संख्या 107 के दक्षिण लाल बहादुर की जमीन है। साक्षी डी0 डब्ल्यू० 1 ने अपनी प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि आराजी संख्या 104 के बाद आराजी संख्या 103 है।

उक्त समस्त तथ्यों के विश्लेषणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि आराजी संख्या 107 से आराजी संख्या 104 सटी हुई है व उसके पश्चात आराजी संख्या 103 स्थित है जो कि कागज संख्या 8 ग / 4 भू- नक्शा के अवलोकन से भी स्पष्ट है। राजस्व अभिलेख वादग्रस्त संपत्ति के बावत वादीगण का नाम दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विवादित संपत्ति के स्वामी है और वह विधिक एवं स्थिर रूप से उक्त संपत्ति पर अध्यासित है यह साबित करने में सफल रहे हैं। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2:-

यह विवादक इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन व न्याय शुल्क अपर्याप्त है ?

वाद बिन्दु संख्या 2 का निस्तारण न्यायालय द्वारा मूल वाद में दिनांक 15.09.2011 को किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3:-

यह विवादक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 3 और आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०सं० से बाधित बाधित है ?

आदेश 7 नियम 3 जा०दी० में वर्णित प्रावधान के अनुसार स्थावर सम्पत्ति की दशा में उसकी पहचान राजस्व अभिलेख में दर्ज नंबर या उसकी चौहददी के आधार पर की जा सकती है। वादी ने अपने वादपत्र में यह कथन किया है कि आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे० स्थित ग्राम रसूलपुर गिरछा, परगना कडा, तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी के सहभूमिधर काबिज दखील व स्वामी है। आराजी संख्या 107 के कुछ भाग में खेतीबारी होती है तथा कुछ भाग में एक पेड़ बेल, एक पेड़ महुआ, नीम के 6 पेड़ तथा बैर के 15 पेड़ तथा 2 बांसकोट स्थित है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में वादीगण ने खतौनी व खसरा भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित आराजी का नंबर वर्णित है तथा वादग्रस्त सम्पत्ति की पहचान को स्पष्ट किया है जबकि प्रतिवादीगण यह साबित नहीं कर सके हैं कि विवादित सम्पत्ति पहचान योग्य नहीं है। प्रतिवादी द्वारा यह भी नहीं बताया गया है कि किस प्रकार वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 सि०प्र०सं० के प्रावधानों से बाधित है तदनुसार यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4:-

यह विवादक इस आशय का विरचित किया गया है क्या दावा वादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित बाधित है ?

यह वाद बिन्दु प्रतिवादी के अभिकथनों के आधार पर निर्मित है जिसको सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी द्वारा इस वाद बिन्दु पर अधिक बल नहीं दिया गया है और न ही यह बताया गया है कि किस प्रकार वादी का वाद धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 के प्रावधानों से बाधित है। तदनुसार यह वादी बिन्दु प्रतिवादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5:-

यह विवाद्यक इस आशय का विरचित किया गया है क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

प्रस्तुत वाद में वादीगण द्वारा याचित अनुतोष यह है कि जरिये स्थायी निषेधाज्ञा आदेश पारित कर प्रतिवादी संख्या 1 व उनके मेली मददगार को मना कर दे कि वादीगण की भूमिधरी आराजी संख्या 107 रकबा 0.331 हे0 स्थित ग्राम रसूलपुर गिरछा, परगना- कडा, तहसील- सिराथू, जनपद- कौशाम्बी में अवैध तरीके से किसी प्रकार का निर्माण न करें और न ही वादीगण के उक्त आराजी में शांतिपूर्ण कब्जा व दखल में अवैध हस्तक्षेप करें। इस संबंध में उक्त वाद बिन्दु संख्या 1 वादीगण के पक्ष में सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जा चुका है। उक्त अनुतोष के अतिरिक्त वादीगण ने अन्य किसी अनुतोष की और न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। तदनुसार यह वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

:-आदेश:-

वादीगण का वाद सव्यय आज्ञप्त किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई व्यादेश सदैव के लिए निषेधित किया जाता है कि वह संख्या 107 रकबा 0.331 हे0 स्थित ग्राम रसूलपुर गिरछा, परगना कडा, तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी पर किसी प्रकार से वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा दखल में हस्तक्षेप न करें।

दिनांक 12.09.2022

अभिषेक गुप्ता

न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)

कौशाम्बी।

J.O. CODE - UP3254

यह निर्णय मेरे द्वारा आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 12.09.2022

अभिषेक गुप्ता

न्यायालय सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी)

कौशाम्बी।

J.O. CODE - UP3254

